राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 1 (5)ग्रावि/नरेगा/मु.म. संदर्भ/2012 जयपुर, दिनांक 21 JAN 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत महिला सशक्तीकरण हेतु सुझावों पर कार्यवाही बाबत।

सदंर्भ :– माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.12.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र मा0 मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने महिला सशक्तिकरण के संबंध में दिये गये निम्न सुझावों की पालना सुनिश्चित करावें :–

1. विधवा, परित्यक्त तथा निःसहायः, महिलाओं की पहचान की जाए, जो कि अधिनियम में एक परिवार के रूप में पात्र है। ऐसी महिलाओं को यदि रोजगार कार्ड जारी नहीं किया हुआ तो उन्हें नियमानुसार जॉब कॉर्ड जारी कर उन्हे 100 दिन का रोजगार दिया जावे।
2. गर्भवती तथा स्तन पान कराने वाली महिलाओं के लिए ऐसे विशेष कार्य शुरू किए जावें जिनमें कम प्रयास निहित हो तथा उनके घर के समीप स्थित हो।
3. बैंक/डाक खाने में महिला कामगारों के नाम से खाता खोलने का प्रोत्साहन किया जावे।
4. यह प्रयास किया जावे कि नरेगा योजना में कम से कम 50 प्रतिशत पर्यवेक्षक (मेट) महिलाऐं हो। ऐसी महिला कर्मियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होने स्वंय अथवा जिनकी बेटियों ने विगत तीन वर्षो के दौरान अधिकतम कार्य किया हो। इसमें से पहली प्राथमिकता विकलांग महिलाओं को दी जाए।
5. कार्य स्थल पर शिशु शाला (क्रेच), पेय जल, शेड आदि जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। ऐसी सुविधायें महिला एवं बाल विकास की योजनाओं जैसे कि समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस) अथवा नरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा सकती है।

6. मनरेगा कार्यो की आयोजना, क्रियान्वयन, निगरानी, कार्य के संधारण आदि के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा मांग का आंकलन करने में महिला समूहों, जिनमें स्व सहायता समूह भी हो, प्रोत्साहित किया जावे। महिला पर्यवेक्षक (मेट) स्व–सहायता समूहों द्वारा तैयार किये जा सकते है।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.12.2012 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. उप सचिव (एस.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय की अ.शा. टीप क्रमांकः मु.मं–उ.स. (ग्रा. वि.) /(राज)/12/2653 दिनांक 27.12.2012 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस